न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/348/2017

उनवान

1. तेजमल आत्मज रतना चमार निवासी लाछुडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. कन्हैया लाल आत्मज भज्जा चमार निवासी लाछुडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. माधुलाल आत्मज भूरा रेगर निवासी लाछुडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 287/2012 अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 14.6.2017

अधिवक्तागण :—

1. श्री संजय सेन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री आदित्यनारायण ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या1,2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 18.9.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लाछुडा पटवार हल्का लाछुडा में वादी की आराजी नम्बर 3509 रकबा 0.25 हे0, आराजी नम्बर 3510 रकबा 0.06 हे0, आराजी नम्बर 3511 रकबा 0.24 हे0, आराजी नम्बर 3512 रकबा 0.36 हे0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के पूर्व में लक्ष्मण पुत्र नन्दा चमार के नाम खातेदारी हक की आराजी थी जिसे वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया । तभी से उक्त आराजी पर वादी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जिसकी मौके पर पत्थरगढी वादी द्वारा दिनांक 18 मार्च 2012 को सहायक कलक्टर, आसीन्द के आदेश से करवाई गई। मौके पर माप व सीमांकन किया गया तो मौके पर पाया कि वादी की खाते की आराजी नम्बर 3509 रबा 0.25 ह0, व आराजी नमबर 3510 रकबा 0.06 हे0, किता 2 रकबा 0.31 हे0 पर प्रतिवादी संख्या 1 व आराजी नम्बर 3512 रकबा 0.36 हे0 पर प्रतिवादी संख्या 2 ने नाजायज कब्जा कर रखा है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मौके से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाा जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादी की उपरोक्त आराजियत में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं न किसी अन्य से करावे। तथा वादी का कब्जा होने की दिनांक तक हर्जाना प्रतिमाह 2000/—रूप्ये के हिसाब से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से दिलाया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में नियत कर निर्णय एवं डिक्री पारित की है। इसलिए अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी । प्रत्यर्थी संख्या 1 दिनांक 7.11.2017 को वादग्रस्त भूमि पर आये और अपीलार्थीगण के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करने लगे तब अपीलार्थीगण ने ने आपत्ति की तो उस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी दी । तब जाकर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं नकल हेतु आवेदन किया । नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। इस आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने का निवेदन किया ।

1. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे को स्वीकार करते हुए प्रकरण में आगामी कार्यवाही वास्ते जवाब दिनांक 5.1.2017 को तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 5.1.2017 को राजकीय अवकाश हो जाने से प्रकरण में जनरल पेशी दिनांक 4.5.2017 नियत की गई। दिनांक 4.5.2017 को पेशी पर अपीलार्थीगण को अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा कोई पेशी नहीं दी गई। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 14.6.2017 को कैम्प लाछुडा मे तलब कर ली गई। जिसकी कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। जिससे अपीलार्थीगण उक्त कैम्प लाछुडा में उपस्थित नहीं हो सका । प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत करने के पश्चात विवाद्यक विरचित कर साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

2. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर पर्चा मौका तैयार कर प्रस्तुत करवा दिया । जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । जबकि वास्तवितका यह है कि अपीलार्थीगण का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान साबिक नम्बर व नक्शे के अनुसार नये नम्बर व नक्शा कायम नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण उक्त नम्बरों पर सदैव से ही काबिज चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि राजस्व लोक अदालत का उद्धेश्य पक्षकारान की आपसी सहमती से प्रकरण का राजीनामे से निस्तारण करना होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार की मंशा को समझे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

बना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जावे।

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। जिस पर अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर प्रकरण को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु नियत किया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को जागरूक रहकर प्रकरण की पैरवी करनी चाहिये थी। अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का अवैध अतिक्रमण होने से अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

5. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने आदेशिका दिनांक 6.10.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर प्रकरण को वास्ते जवाब आगामी पेशी दिनांक 5.1.2017 को नियत किया गया । दिनांक 5.1.2017 को राजकीय अवकाश होने की वजह से प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 4.5.2017 नियत की गई। परन्तु दिनांक 4.5.2017 को कोई आदेशिका ही नहीं लिखी गई एवं प्रकरण को दिनांक 14.6.2017 को लोक अदालत कैम्प लाछुडा में तलब कर ली गई। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प लाछुडा में दिनांक 14.6.2017 को नियत किये जाने बाबत पक्षकारान को कोई सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई। उसके बावजूद निर्णय दिनांक 14.6.2017 की आदेशिका में वादी की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश अंकित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

7. अपीलाधीन मामला जब वास्ते जवाब दावा लंबित था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा लिये जाने के उपरान्त तनकियात कायम कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेज, रेकार्ड प्रस्तुत होने के उपरान्त तनकीवाईज गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। प्रकरण लोक अदालत में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तभी रखना चाहिये जब पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा/सहमति से निस्तारण किया जाता है।

8. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.6.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, राजस्व रेकार्ड , दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.18 को उपस्थित रहे।

9. निर्णय आज दिनांक 18.9.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

18/9/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा